असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 नवम्बर, 2019

षोडश विधान-सभा 26 नवम्बर, 2019 ई0

---------- मंगलवार तिथि ----------

चतुर्दश सत्र 05 अग्रहायण, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण.....

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

एक मिनट के बाद बोलियेगा न, एक मिनट के बाद बोलियेगा, रखिये न उसको ।

(व्यवधान जारी)

एक मिनट के बाद बोलियेगा न । एक मिनट सुन लीजिये न, एक मिनट सुन लीजिये ।

माननीय सदस्यगण, आज संविधान दिवस है । आज से 70 वर्ष पूर्व हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था । आप अवगत हैं कि पूरे विश्व में भारत के संविधान की अलग पहचान है । यह विस्तृत होने के साथ ही सम्पूर्ण देश की आकांक्षाओं का प्रतीक है । इस सदन के गठन से लेकर हमारा, आपका सब का निर्वाचन भी इसी संविधान की देन है । भविष्य में भी भारत की प्रजातांत्रिक यात्रा में यह संविधान हमारा मार्गदर्शन करता रहे, इसी भावना के साथ मैं आपके साथ पूरे सदन की तरफ से बिहारवासियों सहित भारतवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

आप संविधान दिवस के खिलाफ हैं क्या ? आप संविधान दिवस के खिलाफ हैं, आप तो शांत थे, आप कहां आ गये ?

(व्यवधान जारी)

प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

(व्यवधान जारी)

आप प्रश्न पूछ रहे हैं ?

(व्यवधान जारी)

जब संविधान दिवस का विरोध करियेगा तो नागरिकता कैसे बचेगी? नागरिकता बचाने के लिए संविधान की रक्षा करनी होगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी सवाल उठाना चाहते हैं, नियम के तहत सवाल को उठायें । उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपने-अपने स्थान पर जायं तो आसन भी इनकी बात को सुनेगा और सरकार भी इनकी बात को सुनेगी और समझेगी । महोदय, इस तरह से हर दिन वेल में आना और महोदय, एक से एक महत्वपूर्ण सवाल हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है, राज्य चिन्तित है, राज्य की जनता चिन्तित है कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाय । सरकार चिन्तित है और इनको कोई मतलब नहीं है । महोदय, सवाल तो कर देते हैं परन्तु सवाल पूछने का भी साहस नहीं है तो पुन: मैं एक बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि अपनी-अपनी जगह पर जायं और अपनी बात को रखें, सरकार इनकी बात सुनेगी, आसन भी सुनेगा सरकार भी सुनेगी और उसका उत्तर भी सरकार दे सकती है लेकिन इस तरह से वेल में आकर हंगामा करने पर न सरकार सुन रही है और न आसन सुन रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी-अपनी जगह पर जाकर बोलिये । आप अपने स्थान पर जाकर बोलिये न ?

(व्यवधान जारी)

आप अपने स्थान पर जाकर बोलियेगा तब हम सुनेंगे ।

(व्यवधान जारी)

आप अपने स्थान पर जाकर बोलिये, हम सुनेंगे । अभी तो आप क्या बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं । आप अपने स्थान पर जाकर बोलियेगा, तब न हम सुनेंगे । आप अपने स्थान पर जाकर बोलिये, आसन सुनेगा ।

(व्यवधान जारी)

कहां हम सुन रहे हैं ? आप अपने स्थान पर जाकर बोलिये, तब न हम सुनेंगे ।

(व्यवधान)

देखिये, आप अपने स्थान पर जाकर बोलिये न, हम सुनेंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा कि माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर जायं और अपनी बात को रखें, आसन भी इनकी बात को सुनेगा और सरकार भी इनकी बात को सुनेगी, समझेगी और उसके बाद इनको जवाब भी देगी लेकिन महोदय, ये सीट पर नहीं जाने वाले हैं, संविधान दिवस है आज और इस संविधान

दिवस पर भी ये संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते हैं । ये नकली संविधान की रक्षा करने वाले, नारा लगाने वाले हैं । नारा में विश्वास है इनको ? संविधान और नियमावली में विश्वास इनको नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: देखिये, आप लोग अगर अपने-अपने स्थान पर जायं, शिक्षा मंत्री पूरी तैयारी से जवाब देने के लिए आये हैं, उनको मौका तो दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

कार्य स्थगन उठाने के समय पर उठाईयेगा, तब न आसन उस पर नियमन देगा । असमय कैसे आसन नियमन देगा ।

(व्यवधान जारी)

संविधान के तहत अपनी नियमावली है और अपनी नियमावली में कार्य स्थगन उठाने का समय निर्धारित है । आप समय पर उठायेंगे, हम बोलेंगे । हमारा संविधान कहता है कि समय पर नहीं उठाये गये बिन्दुओं पर आसन निर्णय नहीं ले सकता है। यही हमारा संविधान भी कहता है ।

(व्यवधान जारी)

अब सभा की बैठक 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–2/आजाद/26.11.2019

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री ।

माननीय सदस्य, आप जो प्रथम पाली में चाहते थे, कार्य स्थगित हो, कार्य स्थगित हो गया, अब तो चलने दीजिए ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं, बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय में उपस्थापित किया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सुन लीजिए न, इसमें आपलोगों का भी है ।

माननीय उप मुख्यमंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लेखा लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लेखा लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619 (A)(2) के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग ।

श्री बृज किशोर बिन्द,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ''खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम,1957 की धारा-28(3) के तहत् ''बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019'' की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सभापति, याचिका समिति ।

श्री रामानन्द यादव,संयोजक,याचिका समिति : महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211(1) के तहत षोडश बिहार विधान सभा की याचिका समिति का प्रतिवेदन संख्या-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2019

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019''

को पुर:स्थापति करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

'' कि बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019'' को पुर:स्थापति करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019''

पर विचार हो ।

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

<u>विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श</u>

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

मननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

अनुपस्थित

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-4 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में पांच संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-5 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रामदेव बाबू जो कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं, इनके व्यवहार से इतना दु:खी हो गये हैं और आर0जे0डी0 के माननीय सदस्यों के व्यवहार से इतने दु:खी है कि वे सदन में प्रस्ताव करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये लोग उनसे जाकर माफी मांगें और उनको बुलाये ।

अध्यक्ष : खंड-6 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनपुस्थित ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-6 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में चार संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-7 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव जी, आप खंड-8 के बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

अब हम खंड-8 ले रहे हैं ।

खंड-8 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-8 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-3/शंभु/26.11.19

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी बिल हो रहा है न ? पहले बिल वाला काम निपट लेते हैं ।

खंड-9 एवं 10 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बने ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : खंड-11 में दो संशोधन हैं । क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

एक नयी आवाज आ रही है जोर से, वह किनकी है ?

(व्यवधान जारी)

खंड-12 में एक संशोधन है । क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-12 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

महबूब जी, आप तो सदन के महबूब हैं । ये महबूब नहीं हैं शकील जी? ये जनता के महबूब हैं और यह सदन जनता के ही प्रतिनिधियों का है । इसलिए ये प्रतिनिधियों के भी महबूब हैं ।

खंड-13 में एक संशोधन है । क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-13 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-14 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-14 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-14 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-15 में 4 संशोधन हैं । क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या श्री ललित कुमार यादव जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-15 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-15 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अब स्वीकृति का प्रस्ताव लेते हैं । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव एस0जी0एस0टी0 एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव है । अब इसके कुछ मुख्य बिन्दुओं के बारे में सदन को बताना चाहूंगा । अभी तक यह प्रावधान था कि 20 लाख रूपये तक जिनका टर्न-ओवर है उनको जी0एस0टी0 के

अंदर निबंधन कराने की अनिवार्यता नहीं थी । अब केवल मालों का कारोबार करनेवाले व्यवसायियों को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है । यानी 40 लाख तक के जो व्यापारी हैं उनको जी0एस0टी में निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार जी0एस0टी0 के अधीन निबंधन प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाया गया है । साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इसके पूर्व केवल एक प्रावधान था कि कोई करदाता अपने कारोबार का केवल 10 परसेंट अथवा 5 लाख रूपया जो अधिक हो उसी सीमा तक वह कम्पोजिशन स्कीम में आपूर्ति कर सकेगा । अब यह प्रावधान किया गया है कि 50 लाख तक के व्यवसायियों के लिए भी कम्पोजिशन लेवी लाभ दिये जाने का प्रावधान है । अध्यक्ष महोदय, कम्पोजिशन लेवी के विकल्प का चुनाव करनेवाले व्यवसायियों के लिए त्रैमासिक आधार पर विवरणी एवं त्रैमासिक कर भुगतान करने का प्रावधान था, अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि जो कम्पोजिशन स्कीम के व्यवसायी हैं वे एनुवल रिटर्न दाखिल करेंगे किन्तु कर भुगतान वे त्रैमासिक आधार पर करेंगे । इसी प्रकार नयी रिटर्न फाइलिंग की व्यवस्था में 01.04.2020 से 5 करोड़ तक के जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं उनको त्रैमासिक विवरणी मासिक आधार पर उनको कर का भुगतान करना पड़ेगा । महोदय, उसी प्रकार रिटर्न के लिए 26 सितम्बर से यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय स्तर पर सिंगल विन्डो के माध्यम से रिफंड का भुगतान किया जायेगा । उसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर में नगद राशि जमा करते समय कई बार गलत शीर्ष का चुनाव कर लिया जाता था । अतः यह प्रावधान किया जा रहा है कि कैश लेजर में उपलब्ध कर फाइन ब्याज की राशि एस0जी0एस0टी0, सी0जी0एस0टी0, आइ0जी0एस0टी0 शीर्ष में ट्रांसफर की जा सकेगी । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एडवांस रूलिंग ऑथोरिटी द्वारा भिन्न-भिन्न अपीलीय आदेश पारित किये जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर अपीलीय प्राधिकार के गठन के प्रावधान किये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ प्रमुख संशोधन हैं उनका जिक्र किया है । मैं अपने भाषण की प्रति सदन के मेज पर रखना चाहूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जो दस्तावेज सदन पटल पर रखा है वह इनके भाषण का अंश बनेगा ।

(परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य ।)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-4/ज्योति/26-11-2019

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब दूसरा विधेयक । माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी-अपनी जगह पर जाईये । दूसरा विधेयक शुरु कर रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं हैं और कांग्रेस सीनियर लीडर भी नहीं हैं । ये आर.जे.डी. के मेम्बर्स से और कांग्रेस के माननीय सदस्यों से इतना दुखी हो चुके हैं कि सदन छोड़कर चले गए हैं । ये अपने आचरण और व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाएं ताकि नेता विरोधी दल भी आयें और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी आयें ।

<u>बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019 पर विचार हो । ''

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री राम देव यादव, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

खण्ड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-2 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-3 में 6 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान जारी)

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, सदन ऑडर में नहीं है, पहले सदन को ऑर्डर में लाया जाय तब कोई बिल पास कराया जाय ।

अध्यक्ष : सदन को डिजॉर्डर कौन कर रहे हैं ? आप ऑर्डर में हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : पहले ऑर्डर में लाया जाय ।

अध्यक्ष : आप ऑर्डर में हैं ? माननीय सदस्य मूव नहीं करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री राम देव राय जी ।

मूव नहीं करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ ।

मूव नहीं करेंगे ।

श्री रामदेव राय ।

मूव नहीं करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ ।

मूव नहीं करेंगे ।

श्री रामदेव राय जी

मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड–3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–4 में एक संशोधन है ।

श्री समीर कुमार महासेठ जी

मूव नहीं करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड –4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड –5 में एक संशोधन है ।

श्री समीर कुमार महासेठ जी

मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड –5 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-6 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-1 में एक संशोधन है ।

श्री समीर कुमार महासेठ जी

मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019 स्वीकृत हो । ''

अध्यक्ष महोदय, यह एक मुश्त कर समाधान योजना है । यह वन टाईम सेट्लमेंट स्कीम है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में जी.एस.टी. प्रणाली लागू हो गई है तो जी.एस.टी. प्रणाली के पहले बहुत सारे जो अधिनियम थे बिहार में, जैसे बिहार सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, सी.एस.टी. ऐक्ट, लक्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टिजमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी डियूटी ऐक्ट और इसमें से अधिकांश अधिनियमों को समाहित कर जी.एस.टी. को लागू किया गया है तो ये जो पुराने अधिनियम हैं, उनसे जुड़े जो मामले हैं, उनसे जुड़े हुए जो विवाद हैं, उसके विवादों के समाधान के लिए यह एक मुश्त कर समाधान योजना लागू

करने का सरकार ने निर्णय लिया है । दिनॉक 31 दिसम्बर, 2019 तक सृजित विवादों का समाधान प्रस्तावित योजना में किया जा सकता है । महोदय, प्रस्तावित योजना तीन माह के लिए लागू होगी और राज्य सरकार अगर चाहेगी तो उसको और तीन महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ एपीलेट कोर्ट्स हैं, ज्वायंट कमीशनर (अपील), कमीश्नर के रिवीजन कोर्ट, कौमर्सियल टैक्स ट्रिब्यूनल, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहॉ पर जो भी मामले लंबित हैं, इसके अतिरिक्त जो मामले किसी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, ऐसे सभी विवादों का निपटारा इस ओ.टी.एस. के माध्यम से सौल्व किया जा सकेगा । उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियिम के अधीन हरेक व्यापारी को जो अंतर्राज्य व्यापार या बिक्री करता है उसको फॉर्म 'सी' जमा करना होता है और जो गुड्स का स्टॉक ट्रांसफर करता है उसको फॉर्म 'एफ' की आवश्यकता होती है और जिन लोगों ने फॉर्म 'सी' और फॉर्म 'एफ' समय पर जमा नहीं किया था, उनके लिए दंडित किए जाने का प्रावधान था परन्तु इसमें एक प्रावधान किया गया है जो आवेदन की तिथि तक करदाता को एक ऐसे वैधानिक प्रपत्र प्राप्त हो गए हैं, उन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा । किन्तु दावे की ऐसी राशि, जिसके विरुद्ध स्टैचुट्री फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं, उसका जो देय कर का पूरा का पूरा भुगतान करना पड़ेगा । उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जो ब्याज अथवा पैनल्टी का कोई विवाद, जो चाहे कर निर्धारण के फलस्वरुप उत्पन्न हुआ हो अथवा स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने के कारण हुआ हो अथवा मोबाईल चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर अधिरोपित किया गया हो, सभी प्रकार के ब्याज अथवा पैनल्टी के बकाये का समाधान एवं केवल 10 परसेंट जमा करने पर वो विवादों से मुक्त हो सकेगा । उसी प्रकार अगर किसी कर दाता ने रिटर्न में जो टैक्स ऐडमिट किया है वह अगर एडमीटेड टैक्स जमा कर देगा तब वह विवाद से और उसके सारे विवाद खत्म किए जा सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, देश के आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों ने यह ओ.टी.एस. स्कीम लागू किया है ताकि जो जी.एस.टी. के पहले के जो अधिनियम थे, उनसे जो जुड़े विवाद हैं या उनसे जुड़े जो मामले हैं, उनका एक मुश्त निपटारा किया जा सके ताकि हमारे अधिकारी भी पूरी तरह से जी.एस.टी. पर ध्यान केन्द्रीत कर सकें ताकि व्यापारी भी जो हैं, अब पुराने मामले में उलझे न रहे । इसलिए इस ऐक्ट पारित होने के बाद मैं बिहार के व्यापारियों से अपील करुंगा कि इस एक मुश्त कर समाधान योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायें । अध्यक्ष महोदय, अपना जो भाषण है, उसकी प्रति सदन के मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जो लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा है, वह उनके भाषण का अंश बनेगा ।

(परिशिष्ट–2 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

निवेदन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनाँक 26 नवम्बर, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 42 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट–1

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधन के मुख्य प्रावधान

1. दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुरूप बिहार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिसूचित किया गया।

2. जीएसटी परिषद् की अनुशंसाओं के आलोक में CGST Act में संशोधन किये गये है, जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 01 अगस्त, 2019 को प्रकाशित भी किया जा चुका है। सभी राज्यों द्वारा अपने अधिनियम में संशोधन किये जाने के बाद इसे 01 जनवरी, 2020 से एक साथ पूरे देश में लागू किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुरूप जीएसटी परिषद् द्वारा सभी राज्यों से राज्य अधिनियम में वांछित संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. जीएसटी एक राष्ट्रीय प्रणाली है एवं CGST Act तथा SGST Act एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) हैं। फलतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में किये गये किसी भी संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

4. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं–

- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में निबंधन हेतु Threshold Limit रू० 20.00 लाख निर्धारित थी। केवल मालों का कारोबार करनेवाले व्यवसायियों (Supplier of goods) हेतु इस सीमा को बढ़ाकर रूपये 40.00 लाख किया गया है।
- जीएसटी के अधीन निबंधन प्राप्त करने के लिये **"आधार" संख्या को अनिवार्य** बनाया गया है ताकि नव–निबंधित व्यवसायियों की ठोस पहचान की जा सके।
- पूर्व से जीएसटी में निबंधित व्यवसायियों से **चरणबद्ध तरीके से "आधार" संख्या प्राप्त करने** के भी प्रावधान किये गये हैं ताकि सभी निबंधित व्यवसायियों की भी ठोस पहचान हो सके।
- साथ ही, आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में पहचान हेतु वैकल्पिक और व्यवहारिक साधन (Alternate and viable means of Identification) के भी प्रावधान किये गये हैं।
- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 में Composition Levy के प्रावधान हैं। पूर्व में रेस्टूरेन्ट सर्विस को छोड़कर अन्य कोई Service Provider इस योजना में शामिल

नहीं हो सकते थे। अधिनियम में हुये प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि Composition Levy का कोई करदाता राज्य में अपने कारोबार का 10 प्रतिशत अथवा रू० पाँच लाख, जो भी अधिक हो, की सीमा तक सेवाओं की आपूर्ति कर सकेगा। प्रस्तावित संशोधन में **मुख्य रूप से सेवाओं की आपूर्ति** करने वाले रू० 50 लाख तक के व्यवसायियों के लिए भी Composition Levy का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

- कंपोजीसन लेवी के विकल्प का चुनाव करनेवाले व्यवसायियों के लिए त्रैमासिक आधार पर विवरणी एवं त्रैमासिक कर भुगतान करने के प्रावधान थे। प्रस्तावित संशोधन में कंपोजीसन लेवी के व्यवसायियों हेतु मात्र वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने की व्यवस्था की गई है, किन्तु कर का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।
- इसी प्रकार रिटर्न फाईलिंग की प्रस्तावित नई व्यवस्था जो दिनांक 01.04.2020 से प्रस्तावित है, में कुछ अन्य श्रेणी के करदाताओं (यथा रू० 5.00 करोड़ तक के सकलावर्त वाले करदाता) के लिए भी त्रैमासिक विवरणी एवं मासिक आधार पर कर भुगतान करने के प्रावधान किये गये हैं।
- **Digital Payment को बढ़ावा** दिये जाने के लिए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्राप्तिकर्ता व्यवसायी को Digital Payment का विकल्प दिये जाने हेतु प्रावधान किये गये हैं।
- पूर्व में एसजीएसटी से संबंधित राशि का रिफंड राज्य स्तर पर एवं सीजीएसटी से संबंधित राशि का रिफंड केन्द्रीय कर के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। रिफंड की प्रक्रिया में सरलता के लिए सभी प्रकार के रिफंड की राशि का भुगतान दिनांक 26.09.2019 से केन्द्रीय स्तर पर सिंगल विण्डो के माध्यम से किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में केन्द्र द्वारा रिफंड मद् में भुगतान की गयी धनराशि के बराबर राशि केन्द्र सरकार को हस्तांतरित किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।
- करदाताओं द्वारा बहुधा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नगद राशि जमा करते समय गलत शीर्ष का चुनाव कर लिया जाता है। फलस्वरूप यह राशि अवरूद्ध (Block) हो जाती है एवं करदाता अपने रिटर्न की Liability का भुगतान नहीं कर पाते हैं। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से किसी करदाता द्वारा कैश लेजर में उपलब्ध राशि को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में Transfer किया जा सकेगा। अर्थात् कैश लेजर में उपलब्ध कर/फाईन/ब्याज की राशि SGST शीर्ष, CGST शीर्ष अथवा IGST शीर्ष में ट्रांसफर की जा सकेगी।

- किसी करदाता द्वारा रिटर्न के अनुसार करदायित्व का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से किया जा सकता है। पूर्व में व्यवसायी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अथवा क्रेडिट लेजर के माध्यम से भुगतान किये जानेवाले कर पर ब्याज की देयता बनती थी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से भुगतान की गई राशि पर ही ब्याज की गणना की जायेगी।
- प्रस्तावित संशोधन में एक ही विषय पर विभिन्न राज्यों के Advance Ruling Authority द्वारा भिन्न–भिन्न अपीलीय आदेश पारित किये जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर अपीलीय प्राधिकार के गठन के प्रावधान किये गये हैं।

परिशिष्ट–2

बिहार सरकार,
वाणिज्य–कर विभाग

एकमुश्त कर समाधान योजना (OTS) के मुख्य प्रावधान

1. बकाया वसूली की लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से तथा राज्य में जीएसटी प्रणाली को कुशलतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से वाणिज्य–कर विभाग के पुराने अधिनियमों के लंबित विवादों को निपटाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से राज्य में कर विवाद समाधान योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

2. दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी प्रणाली लागू होने के पश्चात् पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा एवं राजस्थान आदि राज्यों द्वारा समाधान योजना लायी गयी है।

3. वाणिज्य–कर विभाग द्वारा भी पूर्व में वर्ष 2015 एवं पुनः वर्ष 2016 में समाधान योजना लागू की गयी थी।

4. वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 में लायी गयी समाधान योजना में Bihar Entry Tax के विवादों को शामिल नहीं किया गया था। किन्तु प्रस्तावित समाधान योजना में Bihar Entry Tax के बकाया विवादों का निपटारा किया जा सकता है। इसके साथ ही वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 की योजनाओं के अनुरूप Bihar Sales Tax, Bihar VAT Act, Central Sales Tax, Luxury Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Electricity Duty Act, के बकाया विवादों का निपटान भी किया जा सकेगा।

5. दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक सृजित विवादों का समाधान प्रस्तावित योजना में किया जा सकता है।

6. प्रस्तावित समाधान योजना तीन माह की अवधि के लिए लागू होगी। राज्य सरकार चाहे तो इसे तीन माह की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ा सकेगी।

7. पिछली समाधान योजना में सिर्फ उन्हीं विवादों का निपटारा करने की व्यवस्था थी, जो किसी अपीलीय न्यायालय यथा–J.C (Appeal), कमिश्नर के रिभिजन कोर्ट, Commercial Tax Tribunal, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित थे। प्रस्तावित समाधान योजना में ऐसे मामले जो किसी अपीलीय या रिभीजन कोर्ट अथवा माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में लंबित नहीं हैं, को भी शामिल किया गया है, ताकि अधिक से अधिक विवादों का निपटारा हो सके।

8. पिछली समाधान योजनाओं में विवादित बकाये का राशि के आधार पर वर्गीकरण किया गया था एवं बकाया के समाधान हेतु कर की अलग–अलग दरें निर्धारित की गई थी। प्रस्तावित योजना में ऊपर वर्णित अधिनियमों के किसी भी अवधि एवं किसी भी राशि के विवादित कर बकाये को 35 प्रतिशत के भुगतान पर निपटारा किया जा सकेगा।

9. केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम के अधीन केन्द्रीय प्रपत्र 'सी' अथवा केन्द्रीय प्रपत्र 'एफ' दाखिल नहीं करने के फलस्वरूप उत्पन्न विवादों के मामले में, यदि आवेदन की तिथि तक करदाता को ऐसे वैधानिक प्रपत्र प्राप्त हो गये हों, तो उन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा, किन्तु दावे की ऐसी राशि जिसके विरूद्ध वैधानिक प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, पर देय कर का पूरा–पूरा भुगतान करने पर विवादों का निपटारा हो सकेगा।

10. ब्याज अथवा पेनाल्टी का कोई विवाद जो चाहे कर निर्धारण के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो, अथवा स्वीकृत कर विलंब से जमा करने के कारण उत्पन्न हुआ हो, अथवा मोबाईल चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर अधिरोपित किया गया हो, सभी प्रकार के ब्याज अथवा पेनाल्टी के बकाये का समाधान मात्र 10 प्रतिशत की राशि के भुगतान पर हो जायेगा।

11. यदि किसी करदाता द्वारा समाधान योजना के लागू होने के पूर्व विवादित राशि के मद में कोई भुगतान किया गया है, तो उक्त भुगतान को समाधान राशि का भुगतान समझा जाएगा एवं आवेदक को मात्र अंतर राशि का भुगतान करना होगा।

12. यदि किसी करदाता द्वारा समाधान राशि से अधिक राशि जमा कर दी गई है, तो आवेदक को कोई कर वापसी (रिफंड) देय नहीं होगा।

13. किसी करदाता द्वारा रिटर्न में स्वीकृत किये गये कर (Admitted Tax) का समाधान नहीं किया जायेगा, अर्थात् किसी करदाता के विवाद का तभी निपटारा होगा, जब करदाता द्वारा उस अवधि के Admitted Tax का पूरा–पूरा भुगतान कर दिया गया हो।

प्रस्तावित समाधान योजना से पुराने मामलों को निपटाने एवं उनका निष्पादन करने में लगने वाले प्रयास का भार कम होगा तथा जी.एस.टी. के प्रशासन में अधिक से अधिक समय लगाया जा सकेगा।